.... बनाम ....

किस्म मुकदमा ......लक्ष्मी देवी 225...... मु. नं0 ......श्योकोरी 53...... वर्ष......2018......

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19.6.2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट ने बहस मे निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 157,106,357, 523/487 कुल किता-4 रकबा 5.31 हैक्टर ग्राम रेवासी हनुमान की खातेदारी की भूमियां है। हनुमान के दो पुत्र व तीन पुत्रियां है जिसमें अपीलान्ट संख्या-1 व 2 भी 00000000 हनुमान की पुत्रियां है जिससे हनुमान की खातेदारी भूमि में अपीलान्टस का 2/5 हिस्सा है । अपीलान्ट का अदालत मातहत में दावा उद्घोषणा एवं बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा का था । अदालत मातहत ने हमारा हिस्सा बिना घोषित किये ही बिना हमे सुनवाई का अवसर दिये पत्रावली में दिनांक 21-5-2018 पेशी दी गई । इसके बाद पत्रावली में कोई पेशी नहीं दी गई । बिना तारीख पेशी के ही अदालत मातहत ने पत्रावली को कैम्प मे रखकर आदेश पारित कर दिये जिसमें विभाजन प्रस्ताव मगाने के आदेश पारित किये है जबकि अपीलान्ट का हिस्सा घोषित ही नहीं किया गया ।बिना हिस्सा के विभाजन प्रस्ताव कैसे आ सकते हैं । अदालत मातहत ने इसबिन्द पर भी कोई गौर नहीं किया । अदालत मातहत की पत्रावली बीरबल के कायम के प्रार्थना पत्र मे चल रही थी कायम मुकाम प्रार्थना पत्र बिना कोई आदेश पारित किये प्राथमिक डिक्री पारित की है जो कानून संगत एवं प्रावधानों के विपरित है ।अतः अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे । बहस बगौर समाहत की गई ।प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत के आदेश का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 19-9-16 मे प्रतिवादी स0-1 के कायम मुकाम मे विचाराधीन रही	

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	इस प्रार्थना पत्र का प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व कहीं कोई आदेश पारित नहीं किया है तथा दि0 9-~~05~~-5- 2018 को प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 21-5-2018 दी गई । इस दिनांक को तथा इसके बाद 23-5-2018 तक कोई आदेशिका दर्ज नहीं की गई तथा दिनांक 24-5-18 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अदालत मातहत ने प्राथमिक डिक्री जारी की जो आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश पारित करने से पूर्व दावे में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रियाओं की पालना नहीं की। अतः हम न्यायहित में प्रकरण को इसी स्तर पर अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-5-2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विचाराधीन प्रार्थना पत्र कायम मुकाम का निस्तारण कर उसके बाद उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करे । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 30-7-2018 को उपस्थित होवे । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । 19/6/18 (शंकरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	